

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—चण्ड ३—उप-चण्ड (i) PART II—Section 3— Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No 43

नई विल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1983/माध 19, 1904

No. 431

NEW DELHI, TUESDA). FEBRUARY 8, 1983/MAGHA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रका जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## नीवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

## अधिस चनाएं

रई दिल्ली, 8 फरदरी, 1983

सा. का. नि. 58(म).—महापत्तन न्यास उधिनियम, 1963 (1963 क. 38) की धारा 7(2) (स्) के साथ पठित धारा 3 की खर भारा (1) हारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नाउना एकल के न्यामी मडल में भीवहन और परिवहन मंगासाय का प्राचिति के करने के निए उप निकार (उन्चयानायान), जीवहन और परिवहन मंगालय के स्थान पर खप स्थिन (कि. की.) गीवहन और परिवहन मंगालय (पत्तन पक्ष) में करती है और नौवहन और परिवहन मंगालय (पत्तन पक्ष) में भारा करती है और नौवहन और परिवहन मंगालय (पत्तन पक्ष) में भारा करती है कीर नौवहन और मानवा करती है, अर्थात् करती है की स्थाप करती है, अर्थात् करती है अर्थात् करती है, अर्थात् करती है, अर्थात् करती है करती है, अर्थात् करती है करती है, अर्थात् करती है, अर्था करत

उद्यत अधिम् चा मा क्रम सङ्घा ७ पर ''उप मिच्य (पत्त्वनं यातायात)'' को स्थान पर ''उप सिचय (नौतहन)'' रहेगी ।

[फा. सं. पीडब्ल्ट/पीटीबी/82]

#### MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Ports Wing)

RECIRTERED No. D. (D.N.)-72

#### **NOTIFICATIONS**

New Delhi, the 8th February, 1983

G.S.R. 58(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 7(2)(b) of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Deputy Secretary (Shipping), Ministry of Shipping and Transport, as a Trustee to represent the Ministry of Shipping and Transport on the Board of Trustees of the Port of Kandla vice Deputy Secretary (Ports Traffic), Ministry of Shipping and Trusport and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 266(E), dated the 26th March, 1982, namely:—

In the said Notification, against Serial Number 7, for the entry "Deputy Secretary (Ports Traffic)",

the entry "Deputy Secretary (Shipping)", shall be substituted.

[F. No. PW|PTB-4|82]

सा. का. नि. 59(म). — महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 8 की ज्याभारा (1) के खंड (क्र) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मुरगांव पत्तन के न्यासी मंडल से श्री राकेश मोहन को हटाती है क्योंकि अब वे मूरगांव नगर परिषद के प्रतिनिधि नहीं रहे ।

[फा. सं. पीकस्यू/पीटीकी-40/82]

G.S.R. 59(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 8 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby removes Shri Rakesh Mohan from the Board of Trutsees of the Port of Mormugao as he ceases to represent the Mormugao Municipal Council.

[F. No. PW|PTB-40|82]

सा.का.नि. 68(म). महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 10 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मुरगांव नगर परिषद का प्रतिनिधित्व करने के निए श्री राजीव सलवार को म्रगांव पत्तन के न्यासी मंडल में न्यासी नियुक्त करती है और इसके लिए नौबहन और परिवहन मन्नालय (पन्तन पक्ष) की सरकारी अधि-

सूचना सं. सा.का.नि. 286(अ) विनांक 31 मार्च, 1982 में निग्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 13 के स्थान पर निम्नलिखित २हेंगे, अर्थात् :--

> ''13. श्री राजीव शलवार—गुरगांव नगर परिषद का प्रतिगिष्टिय करने के लिए ।''

> > [फा. सं. पीडन्त्यू/पीटीबी-40/82] पी. बी. बेकटकृष्णन, संयुक्त सचिष

G.S.R. 60(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 3, read sub-section (3) of section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Rajeev Talwar, as a Trustee on the Board of Trustees for the Port of Mormugao representing Mormugao Municipal Council and for that purpose amends the Government Notification, Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 286(E), dated the 31st March, 1982, as follows, namely:—

In the said Notification for entry 13, the following entry shall be substituted, namely:—

"13. Shri Rajeev Talwar—Representing the Mormugao Municipal Council."

[F. No. PW|PTB-40|82] P. V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy.